

# **लेखे एक दृष्टि में**

**वर्ष 2012- 13 के लिए**

**बिहार सरकार**

# प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के ‘लेखे एक दृष्टि में’, को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकाशन का मूल प्रयोजन वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे में निहित विस्तृत सूचनाओं, जिसे मेरे कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाता है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, को सारगर्भित करना तथा अधिक सुगम बनाना है।

राज्य के वार्षिक लेखे (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे का समावेश है। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदान-वार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

‘लेखे एक दृष्टि में’ सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखाचित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा ‘लेखे एक दृष्टि में’ का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें उन टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी।

निम्न द्वारा

स्थान : पटना

दिनांक : 31/01/2014

संजय कुमार

महालेखाकार (लेखा एवं हकूम)

बिहार, पटना।

## हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था का दृष्टिकोण हमारी आकांक्षाओं का द्योतक है।

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

हमारे उद्देश्य, हमारी वर्तमान भूमिका को घोषित करता है और आज हम क्या कर रहे हैं; को विवेचित करता है।

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्य सभी के लिए जो हम कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शक है तथा हमें हमारे प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानक प्रदान करते हैं।

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| ■ स्वतंत्रता  | ■ व्यवसायिक, कुशलता   |
| ■ उद्देश्यता  | ■ पारदर्शिता          |
| ■ सत्यनिष्ठा  | ■ सकारात्मक दृष्टिकोण |
| ■ विश्वसनीयता |                       |

# वि षय सूची

<b>अध्याय-I</b>	<b>विहंगावलोकन</b>	<b>पृष्ठ</b>
1.1	परिचय	07
1.2	लेखे की संरचना	07
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	09
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं	15
<b>अध्याय-II</b>	<b>प्राप्तियाँ</b>	
2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	17
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	19
2.4	राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता	21
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	21
2.6	संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	22
2.7	सहायता अनुदान	23
2.8	लोक ऋण	24
<b>अध्याय-III</b>	<b>व्यय</b>	
3.1	परिचय	25
3.2	राजस्व व्यय	25
3.3	पूँजीगत व्यय	27
<b>अध्याय-IV</b>	<b>आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय</b>	
4.1	व्यय का संवितरण (2012-13)	29
4.2	आयोजना व्यय	29
4.3	आयोजना भिन्न व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31

<b>अध्याय-V</b>	<b>विनियोग लेखे</b>	
5.1	विनियोग लेखे 2012-13 का सार	32
5.2	विगत 5 वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचतें	33
<b>अध्याय-VI</b>	<b>परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ</b>	
6.1	परिसंपत्तियाँ	35
6.2	ऋण तथा देयताएँ	35
6.3	गारंटियाँ	36
<b>अध्याय-VII</b>	<b>अन्य विषय</b>	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	37
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे तथा उधार	37
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	37
7.4	रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश	38
7.5	लेखे का मिलान	38
7.6	कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	39
7.7	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र/विस्तृत आकस्मिक विपत्र	40
7.8	व्यय का अत्यधिक प्रवाह	41

# अध्याय-I

## विहंगावलोकन

### 1.1 परिचय

बिहार सरकार के प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे को महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार द्वारा संकलित किया जाता है। यह संकलन जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य प्रमंडलों, वन प्रमंडलों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। ऐसे लेखे के संकलन के आधार पर महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा प्रतिवर्ष वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार किया जाता है जिसे महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

### 1.2 लेखे की संरचना

#### 1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :-

##### भाग-1

##### समेकित निधि

राजस्व और पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ तथा व्यय, लोक-ऋण तथा कर्ज और पेशगियाँ से संबंधित लिए गए कर्ज और उनकी अदायगियाँ।

##### भाग-2

##### आकस्मिक निधि


अप्रत्याशित व्यय, जो बजट में प्रावधानित न हो, के बहन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस निधि से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति तदनन्तर में समेकित निधि से की जाती है।

##### भाग-3

##### लोक लेखा

इसमें ऋण, जमा राशियाँ, पेशगियाँ, प्रेषण तथा उचन्त से संबंधित लेन-देन शामिल हैं। ऋण तथा जमा राशियाँ सरकार के प्रतिदेय दायित्वों को इंगित करते हैं। पेशगियाँ सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण तथा उचन्त से संबंधित लेन-देन समायोजनीय प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंततः लेखे के अंतिम शीर्ष में लिखित कर समाप्तोधित किया जाता है।

### 1.2.2 लेखे का संकलन



## 1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

### 1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे को दर्शाता है, साथ हीं यह राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण तथा लोक लेखा के लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर परिकलित देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनाप्रक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड-1 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं, को रखा जाता है। खण्ड-I में अन्य सारांशीकृत विवरणियाँ (भाग-I), विस्तृत विवरणियाँ (भाग-II) और परिशिष्टों (भाग-III) को रखा जाता है।

बिहार सरकार की प्राप्तियाँ तथा व्ययों को जैसा कि वित्त लेखे 2012-13 में दर्शाया गया है, जो निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ (कुल : 66,137)	राजस्व (कुल : 59,567)	कर राजस्व	48.154
		करेतर राजस्व	1,135
		सहायक अनुदान एवं अंशदान	10.278
व्यय (कुल : 66,137)	पूँजीगत (कुल : 6,570)	कर्ज तथा पेशागियों की वसूली	25
		उधार एवं अन्य दायित्व*	6,545
	राजस्व		
	पूँजीगत		
	कर्ज तथा पेशागियाँ		

\* उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल+लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

राज्य द्वारा राजस्व तथा पूँजी से प्राप्तियों के अलावा, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार राज्य कार्यकारी अभिकरणों / गैर सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर विशेष निधि उपलब्ध कराती है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा ₹ 8,314 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 8,958 करोड़) सीधे विमुक्त किया गया। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती है, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VII में प्रदर्शित किया गया है।

### 1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के तहत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग हैं। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2012-13 द्वारा ₹ 93,614 करोड़ का सकल व्यय और ₹ 0.20 लाख का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 70,469 करोड़ और व्यय में कमी ₹ 1,263 करोड़ हुआ। परिणामतः शुद्ध निवल बचत ₹ 23,145 करोड़ (24.72%) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹ 1,263 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹ 1,692 करोड़ सम्मिलित है जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 954 करोड़ से संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र अप्राप्त रहने के कारण अभी तक लंबित है।

विशेष शासनपत्रों से उत्पन्न सरकार के देयताओं के निर्वहन हेतु, समेकित निधि से राशि को स्थानान्तरित कर उसे जमा करने के लिए सरकार व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिए प्राधिकृत है। बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 344 व्याख्या करता है कि जमा करने वाले प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करेंगे। दो लगातार वित्तीय वर्षों (वह वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई है) के बाद अव्ययित राशि आगे व्यय नहीं की जानी चाहिए तथा शेष को व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष को स्थानान्तरित कर देना चाहिए।

---

टिप्पणी : निधियों के सीधे स्थानान्तरण से संबंधित आँकड़े महालेखा नियंत्रक के पोर्टल 'सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (सी०पी०एस०एम०एस०)' से लिए गए हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान 61 में से मात्र 28 कोषागारों द्वारा व्यक्तिगत जमा खातों के संबंध में सूचना भेजी गई है। 28 कोषागारों से प्राप्त सूचना तथा इस कार्यालय के पूर्व के अभिलेखों के आधार पर 31/03/2013 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

विवरणी	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
01/04/2012 को	07	0.17
वर्ष के दौरान खोले गए	25	804.07
वर्ष के दौरान बन्द किए गए	*	*
31/03/2013 को	32	804.24

\* विस्तृत विवरणी उपलब्ध नहीं है।

## 1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

### 1.4.1 अर्थोपायअग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने एवं संवरण हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की खराब स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

### 1.4.2 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व अधिक्य ₹ 5,101 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 6,545 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पादकता के क्रमशः 2% और 2% को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 10% है। इस घाटे को लोक ऋण (₹ 6,484 करोड़), लोक लेखे (₹ 342 करोड़) में कमी और आदि तथा अंत शेष के निवल (- ₹ 281 करोड़) से पूरित किया गया। राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति का लगभग 44% वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹ 13,558 करोड़), ब्याज संदाय (₹ 4,428 करोड़) तथा पेंशन (₹ 8,364 करोड़) पर खर्च किया गया।

इस प्रकाशन में प्रयुक्त जी०एस०डी०पी० का आँकड़ा, योजना तथा विकास विभाग, बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है।


## निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)


स्रोत	विवरण	राशि
	01/04/2012 को प्रारंभिक रोकड़ शेष	(-) 93
	राजस्व प्राप्तियाँ	59,567
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	25
	लोक ऋण	9.554
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1.296
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	799
	जमा प्राप्तियाँ	15,346
	सिविल पेशागियाँ पुनर्भुगतान	169
	उचंत लेखा	83.703
	प्रेषण	8.927
	आकस्मिकता निधि	-
	<b>कुल -</b>	<b>1,79,293</b>

अनुप्रयोग	व्यय	राशि
	राजस्व व्यय	54.466
	पूँजीगत व्यय	9.585
	प्रदत्त ऋण	2,086
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3.070
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	1.512
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	523
	जमा राशि से किए गए व्यय	13.199
	प्रदत्त सिविल पेशागियाँ	117
	उचंत लेखा	85,639
	प्रेषण	8,908
	31/03/2013 को रोकड़ अंतशेष	188
	<b>कुल -</b>	<b>1,79,293</b>

#### 1.4.3 रुपया जहाँ से आया



#### 1.4.4 रुपया जहाँ गया



\* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल है।

## 1.5 लेखे की विशेषताएँ

(₹ करोड़ में)


	बजट अनुमान 2012-13	वास्तविक	वास्तविक की % बजट प्रावधान	वास्तविक की % स०रा०घ०उ० से (\$)
1. कर राजस्व (@)	48.822	48.154	99	16
2. करेतर राजस्व	3,142	1,135	36	--
3. सहायता अनुदान तथा अंशदान	16.084	10.278	64	3
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	68.048	59.567	87	20
5. अन्य प्राप्तियाँ	--	--	--	--
6. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	15	25	167	--
7. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	7,569	6,545	86	2
8. पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	7.584	6.570	87	2
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	75.632	66.137	87	22
10. गैर-योजना व्यय (*)	42.268	37.756	89	13
11. राजस्व लेखा पर गैर-योजना व्यय	42.079	37.574	89	13
12. 11 के व्यय में से ब्याज अदायगी पर गैर-योजना व्यय	5,186	4.428	85	2
13. पूँजीगत लेखा पर गैर-योजना व्यय	189	182	96	--
14. योजना व्यय (*)	33,364	28,381	85	10
15. राजस्व लेखा पर योजना व्यय	18.880	16.892	89	6
16. पूँजीगत लेखा पर योजना व्यय	14.484	11.489	79	4
17. कुल व्यय (10+14)	75,632	66.137	87	22
18. राजस्व व्यय (11+15)	60.959	54.466	89	19
19. पूँजीगत व्यय (13+16) (#)	14,673	11,671	80	4
20. राजस्व आधिकाय (4-18)	7.089	5.101	72	2
21. राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	7.569	6.545	86	2

- (@) संघीय करों में राज्यांश ₹ 31.900 करोड़ शामिल है।
- (\$) स०रा०घ०उ० का आंकड़ा ₹ 2.94,388 करोड़ योजना विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है।
- (#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय ₹ 9,585 करोड़, संवितरित कर्ज एवं अग्रिम(₹ 2,086 करोड़) सम्मिलित है।
- (\*) गैर-योजना के अंतर्गत ₹ 89 करोड़ तथा योजना के अंतर्गत ₹ 1,997 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।
- (A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।


## 1.6 घाटा और आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा / आधिक्य	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतः इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतः उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।


### 1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य



### 1.6.2 राजकोषीय घाटा का रूझान



### 1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात



यह बांछनीय है कि उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹ 9,585 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹ 9,554 करोड़) और राजस्व आधिक्य (₹ 5,101 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

# अध्याय-II


## प्राप्तियाँ

### 2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 66,137 करोड़ थीं।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित हैं।
सहायक अनुदान	संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त जिसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त सहायता, सामग्री तथा उपस्कर एवं वाह्य सहायता अनुदान सम्मिलित है, जो संघ सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें कुछ संस्थाओं को जैसे-पंचायती राज संस्थाएँ, स्वायत्तशासी निकायों इत्यादि को सहायक अनुदान प्रदान करती हैं।



## राजस्व प्राप्ति के घटक (2012-13)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविकी
क. कर राजस्व	48,154
आय तथा व्यय पर कर	18,356
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संब्यवहारों पर कर	2,398
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	27,400
ख. करेतर राजस्व	1,135
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	170
सामान्य सेवायें	229
सामाजिक सेवायें	59
आर्थिक सेवायें	677
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	10,278
कुल - राजस्व प्राप्तियाँ	59,567

### 2.3 प्राप्तियों का प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कर राजस्व	23,865 (17)	26,292 (16)	33,848 (17)	40,547 (16.45)	48,154 (16)
करेतर राजस्व	1,153 (1)	1,671 (1)	985 (1)	890 (0.40)	1,135 (0.40)
सहायता अनुदान	7,962 (5)	7,564 (5)	9,699 (5)	9,883 (4)	10,278 (3.50)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	32,981 (23)	35,527 (22)	44,532 (23)	51,320 (21)	59,567 (20)
संग्रहण	1,42,279	1,64,547	1,98,135	2,46,487	2,94,388

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के बीच राजस्व संग्रहण में 16% की वृद्धि हुई, यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12% की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में कर राजस्व तथा करेतर राजस्व में क्रमशः 19% तथा 28% की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः ‘पुलिस’ (₹ 25 करोड़), ‘अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग’ (₹ 511 करोड़), ‘चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य’ (₹ 41 करोड़) तथा ‘उद्योग’ (₹ 28 करोड़) में अधिक संग्रहण के कारण हुई। इसके अलावा, वर्ष 2012-13 में ‘ब्याज प्राप्तियाँ’ एवं ‘सड़क तथा सेतु’ में प्राप्तियाँ क्रमशः मात्र ₹ 167 करोड़ तथा ₹ 33 करोड़ हुआ जबकि वर्ष 2011-12 में इनके विरुद्ध संग्रहण क्रमशः ₹ 574 करोड़ तथा ₹ 60 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत कुछ कर घटकों, जैसे-‘बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर’ (₹ 8,671 करोड़), ‘राज्य उत्पाद शुल्क’ (₹ 2,430 करोड़) और ‘माल तथा यात्री कर’ (₹ 1,932 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।

#### राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत घटकों का संग्रहण से अनुपात




## खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय तथा व्यय पर कर	9,445	11,664	14,325	16,610	18,356
संपत्ति तथा पूँजीगत संब्यवहारों पर कर	823	1,139	1,257	1,690	2,398
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	13.597	13.489	18.266	22.247	27,400
<b>कुल-कर राजस्व</b>	<b>23.865</b>	<b>26.292</b>	<b>33.848</b>	<b>40.547</b>	<b>48,154</b>

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः ‘आय पर निगम कर से भिन्न कर’ (₹ 6,860 करोड़), ‘स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क’ (₹ 2,173 करोड़), ‘राज्य उत्पाद शुल्क’ (₹ 2,430 करोड़), ‘बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर’ (₹ 8,671 करोड़), ‘माल तथा यात्री कर’ (₹ 1,932 करोड़) तथा ‘सेवा कर’ (₹ 4,658 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।



(\*) राज्य को मुख्य रूप से केन्द्रांश के निवल आगमों का हिस्सा

## 2.4 राज्य के स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश	राज्य का स्व-कर राजस्व	
			₹ में	स०रा०ष०उ० की प्रतिशतता
2008 - 09	23,865	17,692	6,173	4.34%
2009 - 10	26,292	18,203	8,089	4.92%
2010 - 11	33,848	23,978	9,870	4.98%
2011 - 12	40,547	27,935	12,612	5.12%
2012 - 13	48,154	31,901	16,253	5.52%

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्व-कर राजस्व का अनुपात प्रत्यक्ष रूप से 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित लक्ष्य 6.26% से कम है।

## 2.5 कर संग्रहण की दक्षता

### क. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रहण	823	1,139	1,257	1,690	2,398
संग्रहण पर व्यय	232	358	356	417	440
कर संग्रहण की दक्षता	28%	31%	28%	25%	18%

### ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रहण	13,597	13,489	18,266	22,247	27,400
संग्रहण पर व्यय	78	103	112	130	147
कर संग्रहण की दक्षता	1%	1%	1%	1%	1%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है। हालांकि, संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर के संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है।


**2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति :-**

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निगम कर	5,802	7,491	9,372	10,996	11,459
निगम कर से भिन्न आय पर कर	3,643	4,173	4,953	5,585	6,860
संपत्ति कर	5	17	19	42	20
सीमा शुल्क	3,382	2,548	4,193	4,844	5,301
संघ उत्पाद शुल्क	2,950	2,052	3,050	3,134	3,603
सेवा कर	1,911	1,922	2,391	3,334	4,658
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-) 1	-	-	-	-
संघीय करों का राज्यांश	17,692	18,203	23,978	27,935	31,901
कुल राजस्व कर	23,865	26,292	33,848	40,547	48,154
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	74	69	71	69	66

## 2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें राज्य आयोजना एवं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं वित्त आयोग द्वारा अनुशासित राज्य आयोजना भिन्न अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹ 10,278 करोड़ थी, जो निम्नवत है :-



कुल सहायता अनुदान में आयोजना भिन्न अनुदान का अंशदान वर्ष 2011-12 के 26% से घटकर कर 2012-13 में 23% हो गया, जबकि आयोजना के योजनाओं के लिए अनुदान का अंशदान वर्ष 2011-12 के 74% से बढ़कर 2012-13 में 77% हो गया। आयोजना के योजनाओं में केन्द्रीय अंशदान के बजट अनुमान (₹ 14,246 करोड़) के विरुद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹ 7,866 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया, जो बजट अनुमान का 55% था।

## 2.8 लोक ऋण

### विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आंतरिक ऋण	4,524	4,201	3,526	3,344	6,461
केन्द्रीय कर्ज	(-) 279	(-) 50	316	361	23
कुल लोक ऋण	4,245	4,151	3,842	3,705	6,484

नोट - ऋणात्मक आंकड़े प्राप्तियों से अधिक भुगतान किए जाने को दर्शाते हैं।

वर्ष 2012-13 में, कुल ₹ 7,100 करोड़ के आठ ऋण जो वर्ष 2022-23 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 8.62% से 9.16% के बीच के सममूल्य पर लिए गये।

2012-13 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹ 9,046 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹ 508 करोड़ के जोड़ के विरुद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹ 9,585 करोड़ (100%) था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।

# अध्याय-III

## व्यय

### 3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सरकार के विभिन्न संगठनों के दिनानुदिन व्यय को वहन करने के लिए राजस्व व्यय का उपयोग किया जाता है। पूँजीगत व्यय स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा स्थायी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि करने अथवा स्थायी देयताओं को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्यय को पुनः आयोजना तथा गैर-योजना के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

#### सामान्य सेवायें

न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।

#### सामाजिक सेवायें

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।

#### आर्थिक सेवायें

कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

### 3.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय स०रा०घ०उ० का 19 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के लिए राजस्व व्यय ₹ 54,466 करोड़ हुआ जो बजट अनुमान से ₹ 6,493 करोड़ कम था। इसका कारण आयोजना व्यय के अन्तर्गत ₹ 1,988 करोड़ तथा गैर-योजना व्यय के अंतर्गत ₹ 4,505 करोड़ का कम खर्च होना था। इस कमी को बजट अनुमान की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 8,481 करोड़ (12%) की कमी और बिहार एफ०आर०बी०एम० अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य के राजस्व आधिक्य को कायम रखने की आवश्यकता के आलोक में देखा गया है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरुद्ध व्यय में कमी निम्नवत है :-  
(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बजट अनुमान	28.938	35.715	40,678	49,934	60,959
वास्तविकी व्यय	28.512	32,584	38,216	46,500	54,466
अन्तर	426	3,131	2,462	3,434	6,493
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	1	9	6	7	11


### 3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2012-13)

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशतता
क. राजकोषीय सेवायें	590	1
(i) संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	440	-
(ii) वस्तुओं तथा सेवायें पर करों का संग्रहण	147	-
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	3	-
ख. राज्य के अंग	711	1
ग. ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	4,683	9
घ. प्रशासनिक सेवायें	4,289	8
ड. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें	8,372	15
च. सामाजिक सेवायें	23,107	43
छ. आर्थिक सेवायें	12,710	23
ज. सहायता अनुदान तथा अंशदान	4	-
<b>कुल व्यय (राजस्व लेखा )</b>	<b>54,466</b>	<b>100</b>

### 3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2008-13)

(₹ करोड़ में)



### 3.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2012-13 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹ 11,671 करोड़ हुआ जो स०रा०घ०उ० का 4% था। यह बजट अनुमान से ₹ 3,002 करोड़ कम था (आयोजना व्यय के अंतर्गत ₹ 2,995 करोड़ तथा आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत ₹ 7 करोड़ के कम खर्च होने के कारण)।

#### 3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 983 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹ 737 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 79 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 167 करोड़), बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर ₹ 957 करोड़ और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹ 174 करोड़ व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹ 20 करोड़ निवेश किया गया।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	क्षेत्र	राशि	प्रतिशतता
1.	सामान्य सेवायें-पुलिस, भू-राजस्व आदि।	717	6
2.	सामाजिक सेवायें-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।	1,331	11
3.	आर्थिक सेवायें - कृषि. ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता. ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	7,537	65
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	2,086	18
<b>कुल -</b>		<b>11,671</b>	<b>100</b>


\* सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष-2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष-2049(ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष-3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

### 3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	सामान्य सेवायें	206	274	396	608	717
2.	सामाजिक सेवायें	640	1,123	1,072	807	1,331
3.	आर्थिक सेवायें	5,590	5,935	7,728	7,437	7,531
4.	ऋण तथा अग्रिम	551	897	1,102	1,906	2,086
	कुल-	6,987	8,229	10,298	10,759	11,671


पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार रूझान



## अध्याय-IV


### आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय

#### 4.1 व्यय का संवितरण (2012-13)



#### 4.2 आयोजना व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजना व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹ 28,381 करोड़ हुआ जो कुल व्यय ₹ 66,137 करोड़ का 43% था। इसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹ 23,377 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ₹ 2,707 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अन्तर्गत ₹ 1,997 करोड़ सम्मिलित हैं।



#### 4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत आयोजना व्यय


(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल पूँजीगत व्यय	6,987	8,229	10,298	10,759	11,671
पूँजीगत व्यय (आयोजना)	6,533	7,755	10,010	10,521	11,489
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (आयोजना) का प्रतिशत	94	94	97	98	98


#### 4.3 आयोजना भिन्न व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजना भिन्न व्यय ₹ 37,756 करोड़ (राजस्व के अंतर्गत ₹ 37,574 करोड़ तथा पूँजी के अंतर्गत ₹ 182 करोड़) हुआ, जो कुल व्यय का 57 प्रतिशत था।

#### स०गोद०उ० तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजना भिन्न व्यय



#### 4.4 वचनबद्ध व्यय



घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वचनबद्ध व्यय	14,778	17,663	21,013	24,306	26,350
राजस्व व्यय	28,512	32,584	38,216	46,500	54,466
राजस्व प्राप्तियाँ	32,981	35,527	44,532	51,320	59,567
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	45	50	47	47	44
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	52	54	55	52	48

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

# अध्याय-V

## विनियोग लेखे

### 5.1 वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक व्यय(+)
1	राजस्व दत्तमत प्रभारित	55,713 5,615	7,660 9	9,214 65	63,373 5,624	50,691 4,991	(-) 12,682 (-) 633
2	पूँजीगत दत्तमत प्रभारित	13,412	2,730	6,004	16,142	9,631	(-) 6,511
3	लोक ऋण प्रभारित	3,054	29	9	3,083	3,070	(-) 13
4	ऋण तथा अग्रिम दत्तमत	1,261	4,131	1.055	5.392	2,086	(-) 3,306
	कुल -	79,055	14,559	16,347	93,614	70,469	(-) 23,145

### 5.2 विगत 5 वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)					कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम		
2008-09	(-) 7,228	(-) 3,795	(-) 1	(-) 289	(-) 11,313	
2009-10	(-) 7,216	(-) 3,327	(+) 98	(-) 101	(-) 10,546	
2010-11	(-) 9,584	4,703	(-) 88	(-) 99	(-) 14,474	
2011-12	(-) 10,835	(-) 3,834	(-) 5	(-) 922	(-) 15,596	
2012-13	(-) 13,315	(-) 6,511	(-) 13	(-) 3,306	(-) 23,145	

### 5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्याक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत है :-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का %)

अनुदान	नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	कृषि	29%	18%	20%	28%	29%
20	स्वास्थ्य	27%	16%	23%	22%	22%
23	उद्योग	26%	8%	60%	33%	13%
48	शहरी विकास तथा आवास	35%	37%	72%	52%	24%
49	जल संसाधन	47%	45%	49%	20%	25%

वर्ष 2012-13 के दौरान कुल ₹ 14,559 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 21%) प्राप्त किया गया जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरुद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
3.	भवन निर्माण	राजस्व पूँजी	317.00 669.00	5.00 372.00	252.00 319.00
8.	कला संस्कृति एवं युवा	राजस्व	73.00	10.00	60.00
10.	ऊर्जा	पूँजी	2,056.00	797.00	1,257.00
12.	वित्त	राजस्व पूँजी	375.00 22.00	25.00 2,250.00	220.00 17.00
16.	पंचायती राज	राजस्व	2,906.00	370.00	2,591.00
17.	वाणिज्य-कर	राजस्व	87.00	50.00	78.00
20.	स्वास्थ्य	राजस्व	2,553.00	6.00	1,989.00
21.	शिक्षा	राजस्व	14,814.00	1,948.00	13,978.00
22.	गृह	राजस्व पूँजी	3,996.00 513.00	19.00 102.00	36.00 327.00
23.	उद्योग	राजस्व	488.00	38.00	457.00
30.	अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व पूँजी	149.00 436.00	2.00 15.00	57.00 114.00
32.	विधानमंडल	राजस्व	106.00	6.00	100.00
33.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	374.00	13.00	277.00
35.	योजना एवं विकास	राजस्व पूँजी	817.00 1,220.00	2.00 325.00	151.00 386.00
36.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	राजस्व पूँजी	334.00 366.00	55.00 158.00	329.00 258.00
39.	आपदा प्रबंधन	राजस्व	819.00	12.00	346.00
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार	राजस्व पूँजी	447.00 44.00	38.00 4.00	412.00 17.00
41.	पथ निर्माण	राजस्व पूँजी	664.00 3,811.00	0.00 526.00	555.00 3,291.00
42.	ग्रामीण विकास	राजस्व	1,741.00	134.00	1,453.00
44.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	राजस्व	1,002.00	170.00	921.00
45.	गन्ना उद्योग	राजस्व	115.00	4.00	82.00
48.	नगर विकास एवं आवास	राजस्व	1,552.00	117.00	1,264.00
49.	जल संसाधन	राजस्व पूँजी	807.00 2,150.00	2.00 298.00	665.00 1,776.00
51.	समाज कल्याण	राजस्व पूँजी	3,353.00 227.00	465.00 7.00	2,927.00 0.00

# अध्याय-VI

## परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

### 6.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखे का वर्तमान स्वरूप सरकार की परिसम्पत्तियों, जैसे- भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में सहजता से प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2012-13 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 941 करोड़ रहा। किन्तु वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश पर ₹ 2.55 करोड़ (अर्थात् 0.27%) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश में ₹ 20 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹ 1.15 करोड़ की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹ 341 करोड़ था तथा जो मार्च 2013 के अंत में बढ़ कर ₹ 2,263 करोड़ हो गया।

### 6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लोक ऋण	संगठनों का %	लोक लेखे (*)	संगठनों का %	कुल देयताएँ	संगठनों का %
2008-09	39,291	28	15,686	11	54,977	39
2009-10	43,443	27	15,247	9	58,690	36
2010-11	47,285	24	15,573	8	62,858	32
2011-12	50,990	21	16,822	7	67,812	28
2012-13	57,474	20	19,029	6	76,503	26

(\*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

वर्ष 2011-12 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 8,691 करोड़ (13%) की निवल वृद्धि हुई है।

## सरकार की देयताओं का रूझान



(\*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि।

### 6.3 गारंटियाँ

सार्विधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2008-09	1,548	704	80
2009-10	1,548	899	80
2010-11	1,549	588	44
2011-12	2,049	1,092	103
2012-13	2,046	1,089	112

# अध्याय-VII

## अन्य विषय

### 7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2013 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 48,825 करोड़ शेष है।

### 7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा उधार

वर्ष 2012-13 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल कर्ज तथा उधार ₹ 20,578 करोड़ था। इसमें से ₹ 18,453 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्ज तथा उधार दिए गए। 31 मार्च 2013 के अंत तक मूलधन ₹ 2,578 करोड़ एवं ब्याज ₹ 2,145 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे। वर्ष 2012-13 के दौरान मात्र ₹ 25 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹ 13 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। बकाए कर्ज की वसूली के लिए प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को मदद करेगी।

### 7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान वर्ष 2008-09 में ₹ 6,042 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 17,454 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 18% (₹ 3,135 करोड़) जिला परिषदों, नगरपालिकाओं/नगर निगमों/परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायक अनुदान का विवरण निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/परिषद	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य	कुल
2008-09	62	460	614	4,906	6,042
2009-10	951	267	331	5,360	6,909
2010-11	231	150	1,284	6,759	8,424
2011-12	677	557	1,858	11,352*	14,444
2012-13	441	540	2,154	14,319*	17,454

\* मध्याह्न भोजन योजना, सार्विकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

## 7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2012 को	1 अप्रैल 2013 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 93	188	281
रोकड़ शेष से निवेश ( भारत सरकार कोषागार विपत्र )	434	2,074	1,640
अन्य रोकड़ शेष			
(क) विभागीय शेष	206	183	(-) 23
(ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	286	338	52
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	677	931	254
(क) निक्षेप निधि	677	931	254
(ख) गारंटी उनमोचन निधि	-	-	-
(ग) अन्य निधियाँ	-	-	-
* प्राप्त ब्याज	237	128	(-) 109

(\*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है ।

राज्य सरकार के पास अपने रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधि शेष का निवेशों में उपयोग करने के बाद भी वर्ष 2012-13 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था । इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 49% की कमी हुई ।

## 7.5 लेखे का मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा ससमय विभागीय आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करता है। यह कार्य विभागों के संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल व्यय ₹ 64,051 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 10,763 करोड़ यानि कुल व्यय के 17% तथा कुल प्राप्तियाँ ₹ 59,567 करोड़ के विरुद्ध ₹ 42,719 करोड़ यानि कुल प्राप्ति के 72% का ही मिलान किया गया ।

कुछ मुख्य विभागों की सूची निम्नवत है जिनके द्वारा प्राप्तियाँ तथा व्यय दोनों का पूर्णतया मिलान नहीं किया गया अथवा बहुत ही न्यून राशियों का मिलान किया गया :-

क्र० सं०	प्राप्ति शीर्ष	व्यय शीर्ष	विभाग
1.	0055	2055	गृह विभाग
2.	0202	2202	शिक्षा विभाग
3.	0210	2210	स्वास्थ्य विभाग
4.	0405	2405	पशु तथा मत्स्य संसाधन विभाग
5.	0403	2403	पशु तथा मत्स्य संसाधन विभाग
6.	0059	2059	भवन निर्माण विभाग
7.	0425	2425	सहकारिता विभाग
8.	0851	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग
9.	0852	2852	उद्योग विभाग
10	0211	2211	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग
11.	0216	2216	भवन निर्माण विभाग
12.	0406	2406	पर्यावरण तथा वन विभाग
13.	0515	2515	पंचायती राज विभाग
14.	0701	2701	जल संसाधन विभाग
15.	1054	3054	पथ निर्माण विभाग

## 7.6 कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार के लेखे जिन्हें महालेखाकार के कार्यालय में संकलित किया जाता है, मुख्यतः कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों द्वारा समर्पित आरंभिक लेखे पर आधारित होता है। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथि कोषागारों के लिए अगामी माह के 5 वीं तारीख तथा लोक निर्माण कार्यों एवं वन प्रमण्डलों के लिए 10 वीं तारीख है। कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों तथा वन प्रमण्डलों द्वारा मासिक लेखे के प्रेषण में क्रमशः 05 दिनों, 11 दिनों एवं 24 दिनों का औसत विलम्ब किया गया है। ससमय लेखे के प्रस्तुत नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भेजे गए मासिक लेखे में उस कोषागार को शामिल नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, लेखे के आँकड़े माह के वास्तविक व्यय अथवा प्राप्ति

को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिससे निर्णय गलत हो सकता है, यदि निर्णय अपूर्ण लेखे के आधार पर लिया गया हो ।

### 7.7 संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र एवं विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्र

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से सेवा मुख्य शीर्षों को नामे करते हुए (अंतिम व्यय हेतु दर्ज) राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत हैं एवं ऐसे समस्त मामलों में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणक) को निकासी के अगले माह के 25 तारीख तक उनके द्वारा उपस्थापित करना अपेक्षित है । वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-6633 दिनांक 13/10/2006 द्वारा बिहार कोषागार संहिता में विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को प्रस्तुत करने संबंधी संशोधन किया गया । इसमें प्रावधानित किया गया है कि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र की निकासी से छठे माह के 25वीं तारीख तक विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना को प्रस्तुत किया जाना है ।

30/06/2013 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त होने वाले विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए०सी० विपत्र		प्राप्त डी०सी० विपत्र		लंबित डी०सी० विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11 तक	83,528	25,279.19	78,180	22,520.61	5,348	2,758.58
2011-12	8,626	4,974.42	4,088	4,080.01	4,538	894.41
2012-13	1,863	1,692.49	463	738.86	1,400	953.63
कुल	94,017	31,946.10	82,731	27,339.48	11,286	4,606.62

## 7.8. व्यय का अत्यधिक प्रवाह

वित्तीय नियम निर्दिष्ट करता है कि व्यय का अत्यधिक प्रवाह, विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा एवं इससे बचना चाहिए। फिर भी यह देखा गया कि अधोलिखित कुछ विभागों द्वारा मार्च में कुल व्यय का 45 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक व्यय किया गया :-

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	कुल योग	मार्च 2013 के दौरान व्यय	वर्ष 2012-13 के कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2013 का %
2217	शहरी विकास	12.78	84.22	121.38	918.82	1137.2	579.01	50.92
4406	बानिकी तथा बन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	0	0.03	2.52	2.65	5.2	2.65	50.97
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0	0	1.10	2.61	3.71	1.97	52.94
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	169.52	480.16	494.32	1890.24	3034.23	1713.56	56.47
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.61	1.58	21.87	161.78	185.85	111.41	59.95
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0.02	0.02	6.02	116.78	123.15	74.9	60.82
3452	पर्यटन	1.67	3.15	1.19	19.15	25.16	15.45	61.41
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	5.46	2.43	9.24	45.86	62.99	39.38	62.52
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	0.007	0.70	3.27	18.02	22.07	13.85	62.77
2404	डेयरी विकास	10.4	27.84	5.68	118.6	162.52	107.93	66.41
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	0	0	0	34.72	34.72	24.3	69.98
4047	अन्य राज्यकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	(-2.83)	0.92	2.59	11.97	12.65	9.24	73.01
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	0	0.30	0	6.25	6.55	5.59	85.299
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.07	0.28	0.35	3.09	3.79	3.42	90.42
5053	नगर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	0	2.06	0	24.69	26.75	24.69	92.31
4202	शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	(-1.53)	(-0.14)	9.25	356.86	364.44	340.88	93.54
2705	कमान क्षेत्र विकास	0.11	0.11	0	51.83	52.04	51.65	99.23
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0	0	0	2.00	2.00	2.00	100.00